DR Krishnadeo kumar bharti
Assistant professor (G.T)
Dept of Political science
C.M.j College Donwarihat
Khutauna, Madhubani
Email-----Kdkbharti08@gmail.com
B.A.Part--3- Date-29-05-2020
Mo.No----9234999361

प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न रुपों का वर्णन करें इसकी सीमाओं का परीक्षण करें। *(Discuss the various forms of Judicial control over administration.Discuss it's Limitations.*

साधारण अर्थ में न्यायिक नियंत्रण का प्रयोग उन सभी कानूनी नियंत्रण के लिए किया जाता है जो एक देश के सामान्य न्यायालय किसी भी प्रकार के प्रशासकीय कार्यो पर रखते हैं।लेकिन व्यापक परिप्रेक्ष्य में न्यायिक नियंत्रण के अन्तगर्त न्यायपालिका द्वारा प्राप्त नियंत्रण के सभी कानूनी अधिकार आते हैं जिनके अन्तगर्त विधायी और प्रशासकीय अंगो या अधिकारियों के प्रत्येक क्रिया कलापों की वैधता की जाँच पड़ताल की जाती है।प्रशासन पर न्यायपालिका का नियंत्रण उतना ही आवश्यक है जितना कि प्रशासन पर विधायिका का नियंत्रण।न्यायालय जनता के अधिकारों तथा स्वतंत्रता के रक्षक हैं।इनके द्वारा किए गए नियंत्रण को कानूनी प्रतिकार कहा जाता है। वास्तव में, प्रशासनिक अधिकारियों का न्यायलयों के प्रति जो उत्तरदायित्व है वही दूसरे रूप में कानूनी प्रतिकार है। जब भी सरकारी अधिकारी अनाचार करता है या अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, कोई भी नागरिक न्यायालय में उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है और छुटकारा पा सकता है।

न्यायिक नियंत्रण----

न्यायालय का प्रशासन पर नियंत्रण दो रूपों में होता है

1. सामान्य नियंत्रण और *2.*विशिष्ट नियंत्रण के रूप में।

दोनों का विवेचन निम्न है----

*1.*क्षेत्राधिकार का अभाव----प्रशासन के अन्तगर्त सभी अधिकारी अपनी शक्ति सीमा के अन्तर्गत ही किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में काम करता है।यदि वह अपनी सीमाओं से बाहर काम करता है तो न्यायालय उसके कार्यो को अवैध धोषित कर सकता है।

2. कानून की भूल ----सरकारी अधिकारी कानून की गलत व्याख्या भी एक सकता है और नागरिकों पर ऐसे कत्तर्व्य और आभार सौंप सकता है जो कानून द्वारा मान्य नहीं हो

सत्ता का दरुपयोग---यदि कोई सरकारी अधिकारी किसी नागरिक को हानि पहुँचाने के लिए अपने प्राधिकार का दुरुपयोग करता है तो न्यायालय उस पर हस्तक्षेप कर सकता है और यदि यह सिद्ध हो जाय कि बदला लेने के उद्देश्य से ही सम्बन्धित अधिकारी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है तो उस अधिकारी को दण्ड भी दिया जा सकता है।

3. क्रियाविधि की भूल ----प्रशासकीय अधिकारी को कानून द्वारा निर्धारित क्रियाविधि के अनुरूप ही कार्य करना पड़ता है।लेकिन यदि अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है तो न्यायालय उसके कार्यो की वैधता का प्रश्न उठा सकता है।

विशिष्ट न्यायिक नियंत्रण---

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण---इसका शाब्दिक अर्थ शरीर उपस्थित करना है।इसके माध्यम से न्यायालय उस व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति को बंदी बना रखा है, आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में हाजिर करें जिससे उसे बंदी बनाए जाने के औचित्य पर विचार किया जा सके।

2. परमादेश---इसका शाब्दिक अर्थ होता है आदेश या आज्ञा।यह सक्षम अधिकार वाले किसी सामान्य न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निम्न न्यायालय को कोई ऐसा काम करने के लिए दिया गया आदेश है जो कार्य इसकी कत्तर्व्य सीमा में आता है और जिन्हें पूरा करना चाहिए।

*3.*निषेधाज्ञा---निषेध लेख एक न्यायिक लेख है जो किसी उच्च न्यायालय द्वारा अपने से निचले न्यायालय को कोई ऐसा कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है जो कार्य उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।इस प्रकार यह लेख निचले न्यायालय को कोई ऐसा काम करने से मना करता है जिसे करने का उसे प्राधिकार नहीं है।

*4.*अधिकार पृच्छा---इसका शाब्दिक अर्थ है-किसी अधिपत्र या प्राधिकार द्वारा।यह लेख किसी न्यायालय द्वारा यह देखने के लिए जारी किया जाता है।कि कोई पक्ष जिस पद या अधिकार का दावा कर रहा है वह कहाँ तक वैध है।

संक्षेप में उपर्युक्त न्यायिक नियंत्रण की विधियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के द्वारा एक सख्त रूप में नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है और इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है।

*Limitations (*सीमाएँ*)*--आगे, धन्यवाद।

2020-05-29
© From vivo Note

Scanned with CamScanner